



2026:AHC:19422

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट याचिका - बी संख्या - 314/2026

श्याम जी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 57 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: पंकज कुमार त्यागी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का आवाहन दिनांक 24.02.2025 के आदेश (अनुलग्नक-1) को चुनौती देते हुए किया है, जिसके द्वारा प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थी द्वारा दायर प्रत्यावर्तन आवेदन अनुज्ञात किया गया था; परिणामतः वर्तमान याचिकाकर्ता की ओर से दायर पूर्व प्रत्यावर्तन आवेदन को उसकी मूल संख्याओं पर पुनः स्थापित कर अंतिम सुनवाई के लिए तिथि नियत की गई।
3. विस्तृत विवेचना के पश्चात याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक रूप से परमादेश की रिट जारी कर उप निदेशक चकबंदी (प्रत्यर्थी संख्या 2) को यह आदेश देने की प्रार्थना की कि वह दिनांक 24.02.2025 के आदेश के अनुसरण में प्रत्यावर्तन आवेदन का विनिश्चय निर्धारित अवधि के भीतर करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को उप निदेशक चकबंदी द्वारा दिनांक 24.02.2025 को पारित आदेश के अनुसरण में प्रत्यावर्तन आवेदन के शीघ्र निस्तारण हेतु निदेश जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

5. उपरोक्त परिप्रेक्षा में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः इस न्यायालय को यह उचित प्रतीत होता है कि वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, उप निदेशक चकबंदी (प्रत्यर्थी संख्या 2), जिनके समक्ष उपरोक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को यह निदेश देते हुए वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाए कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः दो माह की अवधि के भीतर उक्त मामले का शीघ्रता से निर्णय करें।

6. यह अपेक्षित है कि इसे विधि के अनुसार, सकारण और आख्यापक आदेश द्वारा, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना विनिश्चित किया जाए।

7. उपरोक्त निदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

28 जनवरी, 2026

प्रियंका

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)